31

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 603216

मॉं सरस्वती देवी मेमोरियल संस्थान असबरनपुर त्रिलोचन महादेव, जौनपुर, उ0प्र0
की घोषणा

न्यास विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 30.05.2018 ई0 को [illegible] श्रीमती मुन्नी गुप्ता पुत्री श्री फौजदार गुप्ता ग्राम व पोस्ट–असबरनपुर त्रिलोचन महादेव, जिला जौनपुर (उ0प्र0) द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक के पास रु0 21,101/- (इक्कीस हजार एक सौ एक रुपये मात्र) की धनराशि है जिसे वह [illegible] कल्याण एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक [illegible] से अप्रति संहरणीय न्यास (Irrevocable Trust) बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और क्योंकि यह ट्रस्ट "मॉं सरस्वती देवी मेमोरियल संस्थान असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव, जिला जौनपुर (उ0प्र0)" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

229 30-5-18

माँ सरस्वती देवी मेमोरियल ...
अस्सवरनपुर त्रिलोचन ...
180 ... मुन्नी गुप्ता ...
आवासगृह ( ...

कोषाधिकारी ... 28 MAY 2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 803217

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु० 21,101/-(इक्कीस हजार एक सौ एक रुपये मात्र) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय श्रीमती मुन्नी गुप्ता पुत्री श्री फौजदार गुप्ता ग्राम व पोस्ट–असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव, जिला जौनपुर उ०प्र० रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

"माँ सरस्वती देवी मेमोरियल संस्थान" असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव, जिला जौनपुर उ०प्र०।

## उद्देश्य एवं नियमावली

(1) ट्रस्ट के उद्देश्य–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, अन्य जन हितकारी केन्द्रों की स्थापना नामकरण, विकास सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

230 — 30-5-18

229

100

अस्सलप्रत

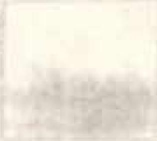

05/30/2018 1:48 PM

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803218

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों, विशेषकर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्ण रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई०, पुस्तकालय, फार्मेसी तथा अन्य मेडिकल सम्बन्धी संस्थाओं व अन्य फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

231

30-5-18

229

100

[illegible]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त [illegible] : 1

[illegible]

निवासी: ग्राम [illegible] केराकत जौनपुर

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान [illegible]

पहचानकर्ता : 1

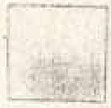

[illegible]

निवासी: ग्राम [illegible] केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि रामभुवन

पहचानकर्ता : 2

श्री नीरज कुमार दुबे, पुत्र श्री [illegible] दुबे

निवासी: ग्राम [illegible] केराकत जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

नीरज कुमार दुबे

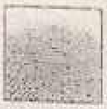

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] त्रिपाठी प्रभारी

उप निबंधक केराकत

जौनपुर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार ... स्टाम्प विक्रेता ... जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803219

प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लेब टेक्नीशियन, सम्बद्ध, प्राप्य आदि कर सकना।

12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित/समाहित कर सकना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
18. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाए, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्री कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
24. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

रु. 100

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

नीरज कुमार श्रीवास्तव
लेखाकार/उप कोषागार
केराकत, जौनपुर

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 159844

26. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों आदि के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्तियों एवं दायित्वों Assets or Liabilities सहित) मानी जायेगी।

27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित मे कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवाएं/वस्तुएं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित मे सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना। दुग्ध शोध प्रशिक्षण संस्थान/डेयरी फार्म आदि की जनहित में स्थापना कर सकना/जागृत करना किसी भी तरह के लघु उद्योगों के संदर्भ में जन समाज को प्रशिक्षित कर सकना व जनहित में स्थापित कर सकना।

29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र, प्रौढ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा। मुन्नी गुप्ता

31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EE 803255

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा देना। पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्यूनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।

33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

34. कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिक्लीनिक का निर्माण करना।

36. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

37. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

38. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

39. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मॉंग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल ऑफ इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803246

40. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
41. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
42. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
43. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(2) प्रारम्भिक उपबन्धः–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से मुन्नी गुप्ता जी को न्यासकर्ता एवं इस न्याय विलेख के रचयिता (Author of deed) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है तथा नवीन कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार गुप्ता व पंकज कुमार गुप्ता पुत्रगण मनोज कुमार गुप्ता, कुमारी आकांक्षा गुप्ता पुत्री मनोज कुमार गुप्ता ग्राम व पोस्ट–असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव जिला जौनपुर, उ0प्र0 को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. किसी भी नये ट्रस्टी के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को एक लाख पचास हजार एक रुपये का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे ट्रस्टीयों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टीयों द्वारा तीन चौथाई बहुमत से स्वीकृत होने पर ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्ही कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव, लाइसेंस/उप रजि. स्टाम्प, कलेक्ट्रेट, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 803247

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद ट्रस्टीयों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित कर दिया जाये तो मुन्नी गुप्ता के मृत्यु के पश्चात ट्रस्टी **श्री नवीन कुमार गुप्ता** इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को 6 माह के अन्दर 3/4 ट्रस्टीयों का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में कोई भी ट्रस्टी 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बन सकेगा।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रुप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी।
6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टीयों में से किसी को वास्तविक रुप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803248

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने ट्रस्टीयों में से किसी को हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र हैं जब तक कि वास्तविक रुप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी (ट्रस्टी) को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने ट्रस्टीयों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजः-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 15 सदस्य होंगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्ट के हित विरुद्ध व अनुशासनहीनता पाये जाने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टीयों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगें।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 803249

इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में पांच ट्रस्टीयों का चयन बिना किसी तरह के आवेदन/शुल्क प्राप्त किये (नियुक्त) कर सकते हैं लेकिन 6 माह के अन्तर्गत समस्त ट्रस्टीयों के 3/4 बहुमत से नियुक्ति की सहमति आवश्यक है वरना ट्रस्टीयों की नियुक्ति 6 माह में समाप्त हो जायेगी।

(6) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएं:–ट्रस्ट का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय होगा।

(7) कार्य क्षेत्र:– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा। यह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता या राय दे सकता है।

(8) सचिव/उप सचिव की नियुक्ति:–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उप सचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

11

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803250

3. यह कि उक्त सचिव/उप सचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टीयों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्य शिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/ विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित, प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्तिः-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्य शिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

12 क्र.2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803236

(10) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे–

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड मे उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देष्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्ष हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टीज/अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अंतिम रूप से उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है–

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

2- ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803237

3- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4- विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।

5- ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6- एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7- प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वांगीण व्यवस्था करना।

8- जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्य भार/कर्तव्यों का पालन करना।

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803238

(14) बैंक एकाउन्ट–

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतः खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा विशेष परिस्थिति में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टीयों में से) संयुक्त रूप से कर सकते हैं।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही–

संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव या ट्रस्टी अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803239

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह भी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (*Guarante* , भाड़ा क्रय (*Hire Purchase*), अनुज्ञप्ति (*License*), बन्धक (*Mortage*), भारित (*Charge*) गिरवी (*Pledge*), विभाजीत (*Partition*) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

(17) विशेष–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय /संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव स्टाम्प विक्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803240

इस डीड ऑफ ट्रस्ट "माँ सरस्वती देवी मेमोरियल संस्थान, असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव, जौनपुर, उ०प्र०" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध मे अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अंतिम होगी।

यह कि माँ सरस्वती देवी मेमोरियल संस्थान, असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव, जौनपुर, उ०प्र० की उक्त न्यास विलेख (*Instrument of Trust*) की उद्देश्य एवं नियमावली एतद द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

यह कि इस ट्रस्ट डीड से अस्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नही हो रहा है।

यह कि उक्त न्यास विलेख (*Instrument of Trust*) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार मे लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

दिनांक: 30.05.2018

मुन्नी गुप्ता

(मुन्नी गुप्ता)
संस्थापक/अध्यक्ष
असबरनपुर, त्रिलोचन महादेव
जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

नीरज कुमार श्रीवास्तव स्टाम्प वेन्डर केराकत, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 803220

राम भुवन

साक्षी-1 राम भुवन S/o श्रीकान्त मिश्र
असवरनपुर बयालसी केराकत जौनपुर
9984744447

नीरज कुमार

नीरज कुमार दुबे S/O चन्द्रभान दुबे
साक्षी-2 असबरनपुर, ब्यालसी, केराकत जौनपुर
9838353198

टंकणकर्ता: राम कुमार गौतम, केराकत, जौनपुर। 30/05/2018

मसविदाकर्ता: बृजेश कुमार यादव एडवोकेट, केराकत, जौनपुर। 30/05/2018

मुन्नी गुप्ता

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR

234 30-5-18

100 229

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 27 के पृष्ठ 217 से 250 तक क्रमांक 31 पर दिनांक 30/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप कोषाधिकारी
केराकत जौनपुर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र तिवारी (प्रभारी)
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर

PRINCIPAL
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
Asbaranpur, Trilochan Mahadev, Jaunpur

मुन्नी गुप्ता
MANAGER
M.S.D. PUBLIC SCHOOL
ASABARANPUR, TRILOCHAN MAHADEV, JAUNPUR